19.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.होडू मे पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। उतरदातागण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई है। जो शामिल मिसल हो। उतरदातागण बावजुद सुचना के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया,कि ग्राम धुरियावास तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 1199,1200,1201,1202,1214 व ग्राम पोटलियो की ढाणी की खसरा संख्या 1775 एवं ग्राम होडू तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 1134 भूमि आई हुई है। जिसमे तत्कालीन सहखातेदार प्रहलाद के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण मे अपीलाण्ट का सही नाम रावताराम के स्थान रायमल गलत नाम दायर किया गया। जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड मे उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। अतःअपीलाण्ट का सही नाम रावताराम वल्द प्रहलाद दायर किया जावे। हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो एव नायब तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्ट के पिता प्रहलाद के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.609 मे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम रावताराम के स्थान पर रायमल वल्द प्रहलाद गलत नाम दायर किया गया। जो वास्तविक नाम रावताराम दर्ज करने की अभिशषां की गई है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम रावताराम होना पाया गया है। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार करते हुए ग्राम धुरियावास तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 1199,1200,1201,1202,1214 व ग्राम पोटलियो की ढाणी की खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

	1775 एवं ग्राम होडू तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 1134 के राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) मे अंकित गलत प्रविष्टि **रायमल वल्द प्रहलाद के स्थान पर सही नाम रावताराम वल्द प्रहलादराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष बदुस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। आदेश मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। 1/5/22 उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner